न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2011 मु.दी. M-1257-I/2011

छोटेलाल मृतक द्वारा वारिसान

1— हीरामन

2— रामसेवक

3— विनोद

4— वृन्दावन

5— मुन्नालाल पुत्रगण स्व. श्री छोटेलाल

6— महिला साहोदा उर्फ बड़ी बहू पत्नी स्व. श्री पुतई समस्त निवासीगण—राजहोली के पास, भिण्ड

— प्रार्थीगण

बनाम

रतीराम पुत्र श्री श्यामले निवासी—ज्वाला माता गड़ैया, वार्ड क्रमांक 28 कस्बा भिण्ड जिला भिण्ड

द्वारा ... आज दि. 4-8-2011 को ... 4-8-2011 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2856/2011 4/8/2011

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण क्रमांक 596/03 को पुनः नम्बर पर लिये जाने

श्रीमान् जी,

प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है :—

1— यह कि, प्रार्थीगण द्वारा निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 28/02/2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसमें प्रार्थीगण रामनाथ के वारिसान हेतु कार्यवाही के लिये प्रकरण लंबित था। उक्त प्रकरण दिनांक 16/11/2009 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया।

(५७)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिसलेनियस 1257–एक / 11 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–4–2014	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह रेस्टोरेशन आवेदन लगभग एक वर्ष 8 माह बाद प्रस्तुत किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब का कोई समाधानकारक कारण भी अपने तर्कों में नहीं बतलाया है । अतः प्रथमदृष्टया यह रेस्टोरेशन आवेदन समय बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	